खबर संक्षेप

आरएसएस के पथ संचलन की तैयारियां तेज

शहडोल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर शहडोल द्वारा समरस, संगठित और सक्षम राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। संघ का यह पथ संचलन 1 नवंबर को नगर शहडोल में निकाला जाएगा। जानकारी के अनुसार एकत्रीकरण का समय दोपहर 3 बजे रखा गया है। एकत्रीकरण स्थल श्री डी सदन, अभयकुंज के पहले, बुढार रोड, शहडोल रहेगा। पथ संचलन को लेकर संघ कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। संघ की प्रमुख पहचान शक्ति, अनुशासन, सेवा है संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नारे के साथ स्वयंसेवक अनुशासित पंक्तियों में नगर भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र भक्ति, समाज सेवा, संगठन शक्ति और हिंदू एकता का संदेश देना है। गौरतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 101 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था। इसी उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष विजयदशमी पर्व पर बस्ती, ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

बाइक चुराने वाला चोर गिरफ्तार मोटरसाइकिल बरामद



शहडोल। जिले में चोरी और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अमलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अमलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर का ताला तोडक़र मोटरसाइकिल पार करने वाले एक शातिर चोर को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई बजाज पल्सर बाइक भी बरामद कर ली है।घटना अमलाई थाना क्षेत्र के ओ.पी.एम. इलाके की है। फरियादी आशीष ब्याधा निवासी रावल मार्केट वार्ड क्रमांक 7 ने 26 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 और 22 अक्टूबर की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने उनके घर के कमरे का ताला तोड़ दिया और अंदर खड़ी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल चुरा ले गए। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फौरन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।थाना प्रभारी अमलाई निरीक्षक भूपेन्द्र मणि पाण्डेय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सुरागकशी तेज की। विवेचना के दौरान तकनीकी मदद और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदेही संतराम सिंह मरकाम निवासी ईंटा भट्टा, अमलाई को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी गई पल्सर मोटरसाइकिल को पूरी तरह सुरक्षित बरामद कर लिया है। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र मणि पाण्डेय के साथ-साथ उपनिरीक्षक शिवनारायण प्रजापति, प्रधान आरक्षक ठाकुर दास और प्रधान आरक्षक जाहिद मोहम्मद की भूमिका रही।

खनिज विभाग ने 23 प्रकरणों पर 8 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

शहडोल। जिले में खनिज संपदा की अवैध लूट और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के सख्त निर्देशों के तहत खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर बड़ा शिकंजा कसा है। जिला खनिज अधिकारी राहुल शाडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान खनिज कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 23 प्रकरणों का कलेक्टर न्यायालय द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने दोषियों से अर्थदंड के रूप में कुल 8 लाख 2 हजार 150 रुपए की तगड़ी राशि जमा कराई है। प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि खनिज पदार्थों का परिवहन केवल वैध अभिवहन (रॉयल्टी) पास के जरिए ही किया जाना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

सट्टा पर्ची काटते आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के सख्त निर्देश पर बुढार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हाथीडोल तिराहा क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से सट्टा संचालित कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से नकदी सहित सट्टा-पर्ची और अन्य सामग्री बरामद की गई है।

जंगल कटे वन्यजीव भटके!

शहडोल में बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत

हाथियों की दस्तक ने बढ़ाई चिंता

जंगलों पर बढ़ता दबाव, खनन गतिविधियों का विस्तार और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में मानवीय दखल अब इंसान और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल बनते जा रहे हैं। शहडोल के गोहपारू में बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत और उमरिया से लगे क्षेत्रों में हाथियों की आबादी के नजदीक आवाजाही ने खतरे की घंटी बजाई है। सवाल है कि जंगल, पानी और वन्यजीवों के रास्ते प्रभावित हुए तो आने वाले समय में इसका खामियाजा कौन भुगतेगा?



शहडोल। जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र की पटोरी बीट में मवेशी तलाशने जंगल गए ग्रामीण सोहन साह यादव की बाघ के हमले में मौत ने वन विभाग की सतर्कता व्यवस्था और जंगल से लगे गांवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब उमरिया के घुंघुटी क्षेत्र से लगे जंगलों में हाथियों की आवाजाही, ग्रामीण आबादी के आसपास वन्यजीवों की मौजूदगी और कोयला खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है।

बाघ की मौजूदगी के बावजूद जंगल गया ग्रामीण

गोहपारू थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी सोहन साह यादव अपने लापता मवेशी को तलाशने पटोरी बीट के जंगल की ओर गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मौके पर मौजूद वनकर्मियों ने उन्हें क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी बताते हुए जंगल में जाने से मना किया था। इसके बावजूद वे भीतर चले गए, जहां बाघ के हमले में उनकी मौत हो गई। उत्तर वन मंडल की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रो ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से बाघ की गतिविधियां देखी जा रही थीं। वन विभाग मुनादी कर ग्रामीणों को सावधान कर रहा था। घटनास्थल के आसपास बाघ की मौजूदगी के साक्ष्य मिलने की भी जानकारी दी गई है। यह घटना बताती है कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है। जंगल में मवेशी खोने, चारा जुटाने या अन्य जरूरतों के कारण जाने वाले ग्रामीणों के लिए सुरक्षित व्यवस्था, त्वरित सूचना और जोखिम वाले क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

हाथियों की दस्तक, गांव और सडक़ों पर खतरा

उमरिया के घुनघुटी क्षेत्र से शहडोल की ओर हाथियों की आवाजाही ने ग्रामीण और शहरी आबादी के आसपास सतर्कता की जरूरत बढ़ा दी है। अमझोर, मसियारी, घोरसा और आस-पास के गांवों में हाथियों के पहुंचने, खेतों में घुसने, फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा कच्चे मकानों के नजदीक आने की सूचनाएं सामने आई हैं। 27-28 अक्टूबर को एसपी डॉ. संजय कुमार अग्रवाल द्वारा ठेंगरहा और आसपास के क्षेत्रों का वन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण किए जाने की जानकारी भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी और निगरानी बढ़ाने की जरूरत इसी परिस्थिति से जुड़ी है। हाथियों के झुंड की लोकेशन बदलने पर शहडोल-रीवा मार्ग सहित प्रमुख सडक़ों पर यातायात प्रभावित होने का खतरा रहता है। लोगों को हाथियों से कम से कम 200 मीटर दूरी रखने, रात में खेतों और जंगलों में अकेले नहीं जाने, सेल्फी लेने या पटाखे फोडऩे से बचने और तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना देने की सलाह दी जानी चाहिए।

जंगलों पर बढ़ता दबाव, पेड़ों की कटाई कितनी

शहडोल-उमरिया क्षेत्र में पाथोरा वेस्ट, पाथोरा ईस्ट, शाहपुर वेस्ट, शाहपुर ईस्ट, मारवाटोला, अर्जुनी वेस्ट और वेस्ट ऑफ शहडोल (साउथ) जैसी कोयला परियोजनाओं के लिए वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव चर्चा में हैं। उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में पाथोरा वेस्ट के लिए 1,753 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, जबकि शाहपुर वेस्ट के एक वन अभिलेख में 547 पेड़ों की गणना दर्ज है। दोनों दस्तावेजों में दर्ज संख्याओं का योग 2,300 है, लेकिन इसे सभी सात परियोजनाओं का कुल नहीं माना जा सकता। शेष परियोजनाओं की पेड़-गणना के आधिकारिक आंकड़े सामने आने पर ही वास्तविक समग्र संख्या स्पष्ट होगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वन भूमि का क्षेत्रफल और पेड़ों की संख्या एक ही बात नहीं हैं। भूमिगत खनन परियोजना होने मात्र से सतह पर पडऩे वाले प्रभाव समाप्त नहीं हो जाते। भूमि धंसने, जल स्रोतों में बदलाव, वन आवास के विखंडन और निर्माण कार्यों के प्रभाव का परियोजनावार आकलन आवश्यक है।

जंगल घटे तो पानी और बारिश पर क्या असर पड़ेगा

जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि मिट्टी, पानी, जैव विविधता और स्थानीय जलवायु को सहारा देने वाली प्राकृतिक व्यवस्था हैं। वनस्पति और मिट्टी की संरचना प्रभावित होने पर वर्षा जल का जमीन में समाने, मिट्टी के कटाव और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण पर असर पड़ सकता है। हालांकि, किसी एक परियोजना से बारिश कितनी घटेगी या पानी की कितनी कमी होगी, इसका निष्कर्ष स्थानीय जलवायु और जलवैज्ञानिक अध्ययन के बिना नहीं निकाला जा सकता। शहडोल और उमरिया जैसे वन क्षेत्रों में यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांवों के कुएं, हैंडपंप, छोटे नाले और मौसमी जल स्रोत स्थानीय जीवन का आधार हैं। यदि खनन और अन्य गतिविधियों से इन स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो पेयजल, खेती और पशुपालन की समस्या बढ़ सकती है।

वन्यजीवों के रास्ते सिमटे तो टकराव बढऩे का खतरा

हाथी और बाघ जैसे वन्यजीव भोजन, पानी, प्रजनन और सुरक्षित आवागमन के लिए बड़े प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। जंगलों में बदलाव, सडक़ों और अन्य निर्माणों का विस्तार तथा मानव गतिविधियां उनके आवागमन को प्रभावित कर सकती हैं। इससे वन्यजीवों का गांवों, खेतों और सडक़ों के नजदीक पहुंचना संभव है। हालांकि, गोहपारू की बाघ घटना को किसी खास खनन परियोजना या पेड़ों की कटाई का सीधा परिणाम बताने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हैं। क्षेत्र में पहले हाथी की करंट से मौत और अब बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत जैसी घटनाएं वन्यजीव संरक्षण तथा मानव सुरक्षा को एक साथ देखने की जरूरत बताती हैं। वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ ग्रामीणों की आजीविका और जान की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

विकास के साथ संरक्षण की जवाबदेही भी जरूरी

प्रशासन, वन विभाग और परियोजना संचालकों को वन भूमि के उपयोग, पेड़ों की वास्तविक संख्या, जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव, वन्यजीव गलियारों और स्थानीय आबादी की सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। परियोजनाओं की स्वीकृति की शर्तों का पालन, स्वतंत्र निगरानी, प्रभावित गांवों की भागीदारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था पर नियमित समीक्षा जरूरी है। सवाल विकास का विरोध या समर्थन करने भर का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि उसके पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की अनदेखी न हो। जंगल सुरक्षित रहेंगे, जल स्रोतों की निगरानी होगी और वन्यजीवों के आवागमन के रास्तों को समझकर योजना बनेगी, तभी इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव का खतरा कम किया जा सकेगा।

13 सालों से सडक़ बनाकर उड़ा रहे गर्द, मुआवजा देने में छुटे पसीने! ग्रामीणों ने दी खदान की सडक़ खोदने की खुली चेतावनी

शहडोल। जिले के सोहागपुर तहसील अंतर्गत सिंदुरी (चुनियां) गांव में निजी कोल माइंस प्रबंधन की वादाखिलाफी से आक्रोषित ग्रामीणों का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। अपनी कीमती जमीन पर पिछले 13 वर्षों से कोल माइंस की भारी गाडिय़ों को दौड़ते देख रहे भू-स्वामियों ने अब कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा और क्रय की कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो वे अपनी जमीन पर बनी सडक़ को खुद खोदकर आवागमन पूरी तरह ठप कर देंगे। अल्ट्राटेक कोल माइंस विचारपुर ग्राम सिंदुरी के प्रबंधन को सौंपे गए पत्र में सोहागपुर तहसील के ग्राम सिंदुरी (चुनियां) निवासी भू-स्वामियों ने अपना दर्द और गुस्सा बयां किया है। ग्रामीणों के अनुसार, आराजी खसरा नंबर 836, 837 और 838 की निजी स्वामित्व वाली भूमि पर कंपनी द्वारा जबरन सडक़ का निर्माण करा लिया गया था। पिछले 13 सालों से इस निजी जमीन का उपयोग खदान से कोयला और अन्य सामग्री ले जाने वाले भारी-भरकम वाहनों के आवागमन के लिए किया जा रहा है। शुरुआती दिनों में कंपनी प्रबंधन ने ग्रामीणों को भरोसा दिया था कि इस जमीन को नियमानुसार क्रय कर उन्हें उचित मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी प्रबंधन की ओर से केवल खोखले आश्वासन ही मिले हैं, धरातल पर एक पाई का भुगतान नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से कंपनी की गाडिय़ों से उड़ती धूल और अपनी ही जमीन से बेदखल होने का दंश झेल रहे हैं। पूर्व में भी जब ग्रामीणों ने मौके पर विरोध जताते हुए सडक़ पर गड्ढे खोदने की कोशिश की थी, तब भी प्रबंधन ने जल्द से जल्द जमीन क्रय करने की बात कहकर मामले को टाल दिया था। अब परेशान होकर भू-स्वामियों ने अल्टीमेटम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि अगले 15 दिनों के अंदर अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा दिलाकर जमीन का क्रय-विक्रय सुनिश्चित नहीं किया गया, तो वे अपने खेतों से लगी इस सडक़ की खुदाई करवा देंगे। इस दौरान खदान के भारी वाहनों का आवागमन प्रभावित होने या किसी भी तरह के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी स्वयं कोल माइंस प्रबंधन की होगी। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर और तहसीलदार सोहागपुर को भी पत्र के माध्यम से जानकारी भेज दी हैं, ताकि समय रहते शासन-प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और गरीब किसानों को उनका हक दिलाए।

एनएच-43 बना मौत का हाईवे

कोनी में बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कब जागेगा प्रशासन

शहडोल। शहडोल जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-43 इन दिनों खून से लाल हो रहा है। मुख्यालय से लेकर बटूरा छोर तक इस मार्ग पर सडक़ हादसों का अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था और सडक़ सुरक्षा दावों की पोल खोल रहा है। ताजा और दर्दनाक मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोनी ओवरब्रिज के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित नए ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। मौके पर जुटे स्थानीय नागरिकों ने मानवीयता





दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

अधूरे निर्माण और लापरवाह व्यवस्था बन रही जानलेवा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हाईवे पर अधूरे पड़े निर्माण कार्य, संपर्क मार्गों पर संकेतक बोर्डों का भारी अभाव और तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही ने राहगीरों का चलना मुहाल कर दिया है। न तो सही जंक्शन बने हैं और न ही गति नियंत्रण के कोई ठोस उपाय नजर आ रहे हैं, जिससे आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई की आस

जिलेभर में हो रहे इन सडक़ हादसों से आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों ने जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय अग्रवाल से मांग की है कि इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर वहां संकेतक, रिफ्लेक्टर और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बेकसूर लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। केवल चालकों की गलती मानकर जिम्मेदार विभागों द्वारा पल्ला झाड़ लेने से हादसों पर रोक नहीं लगने वाली है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब तक ठोस कदम उठाता है।

शासकीय हाईस्कूल नयागांव में हुई चोरी का नौरोजाबाद पुलिस ने किया पर्दाफाश



उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत नयागांव स्थित शासकीय हाईस्कूल में हुई चोरी की घटना का नौरोजाबाद पुलिस ने आज पर्दाफाश किया,पुलिस ने स्कूल से चोरी गया सामान बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह था मामला

शासकीय हाईस्कूल नयागांव के प्राचार्य झाम सिंह परस्ते ने 25 अगस्त को नौरोजाबाद थाने आकर हाई स्कूल नयागांव मे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गईं थी, जिसमे उल्लेख किया गया था अज्ञात चोरो के द्वारा विद्यालय से सीसीटीवी कैमरा 1 नग, एम्पलीफायर 1 नग, माइक 1 नग, सोलर बैट्री, 2 नग, कलर प्रिंटर एक नग, गैस सिलेंडर 2 नग, कैसियो म्यूजिक सिस्टम 1 नग, साउंड बॉक्स 2 नग, मिक्सर एक नग, छोटा साउंड बॉक्स एक नग, सीपीयु 1 नग, गैस चूल्हा 1 नग वोर्ड 2 नग एवं एक इनवर्टर ताला तोडक़र लगभग 1लाख 25 हजार के समान पर हाथ साफ कर दिया गया था

इस तरह हुआ खुलासा

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया,हलाकी की फरियादी के द्वारा आस पास के क्षेत्र में चोरी गए सामान के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, पता लगाने के दौरान ग्राम देवरी मजरा निवासी शिवम नामदेव, सागर सिंह, विपिन पाल एवं ग्राम जरहा निवासी ओम प्रकाश सिंह द्वारा उक्त सामान चोरी किया जाना संदेहस्पद बताया गया, नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा चारों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गईं, जिसमे मे सभी आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया गया, नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा चोरी मे संलिप्त विपिन पाल पिता भूभानलाल उम्र 27 वर्ष, शिवम नामदेव पिता चन्द्रिका उम्र 20 वर्ष सागर सिंह पिता हरिहर सिंह उम्र 20 वर्ष तीनो निवासी ग्राम देवरी मजरा एवं ओम प्रकाश पिता पुरषोत्तम सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी जरहा के ऊपर धारा 305(5)331(4) बीएनएस अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय भेजा गया, जहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, उक्त कार्यवाही मे मुख्य रूप थाना प्रभारी बालेन्द्र शर्मा, एएसआई दिनेश तिवारी, प्रधान आरक्षक संदीप पटेल की भूमिका रही।

तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 को जन आंदोलन बनाएं: उप मुख्यमंत्री

युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी

28 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक संचालित होगा 60 दिवसीय अभियान

शहडोल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू और निकोटीन की लत युवाओं के स्वास्थ्य, क्षमताओं और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। बच्चों और युवाओं को इस लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 को केवल सरकारी अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे बच्चों के स्वस्थ भविष्य और समाज की सुरक्षा से जुड़े जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। इसके लिए युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे और युवा तंबाकू उत्पादों के प्रलोभन या दबाव का शिकार न बनें।



उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय को तंबाकू मुक्त बनाने तथा हर गाँव को तंबाकू मुक्त गांव की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता विकसित की जाए। तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों के पालन में भी सभी संबंधित संस्थाओं और नागरिकों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने 28 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2026 तक संचालित होने वाले 60 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। तंबाकू छोडऩे के इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्रों और राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन की सेवाओं के संबंध में भी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन नंबर 1800-11-2356 पर संपर्क किया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेशवासियों से अपने घर, विद्यालय, गाँव और शहर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन को सामान्य मानने वाली सोच में बदलाव लाना समय की आवश्यकता है। जागरूक युवा स्वस्थ परिवार की नींव है और तंबाकू मुक्त गांव स्वस्थ मध्यप्रदेश की पहचान है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वस्थ युवा, तंबाकू मुक्त गांव, सशक्त मध्यप्रदेश और तंबाकू मुक्त भारत का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है।

खबर संक्षेप

बिना रॉयल्टी और टीपी के पकड़ी गई ट्रैक्टर-ट्रॉली



कोतमा। बिना वैध दस्तावेजों के रेत परिवहन के मामले में कोतमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम छुल्हा में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। वाहन में 3 घन मीटर रेत लोड थी। पुलिस के अनुसार, चालक मौके पर रेत परिवहन से संबंधित वैध रॉयल्टी और परिवहन अनुज्ञा पत्र (टीपी) प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वाहन और रेत को जब्त कर दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ल को अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम को ग्राम छुल्हा भेजकर घेराबंदी कराई गई। पुलिस ने मौके पर मेसी कंपनी के ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 जेडएच 2182 को रोककर वाहन और उसमें लोड रेत से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान वैध रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित रेत जब्त कर ली। पुलिस ने मामले में मोतीलाल पांव, पिता भजन पांव, उम्र 32 वर्ष, निवासी गौरबंध, चौकी केशवाही, थाना बुढ़ार तथा राकेश सिंह कंवर, निवासी टेंधा, चौकी केशवाही के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2), 317 (5) और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पशु तस्करी करते एक आरोपी पकड़ा, छह भैंस के बच्चे जब्त



कोतमा। पशुओं को कथित रूप से मारते-पीटते हुए तस्करी के लिए ले जाने की सूचना पर कोतमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से छह भैंस के बच्चों को जब्त किया है। पूछताछ के दौरान इस मामले में पांच अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, ग्राम तरसीली से एक व्यक्ति छह भैंस के बच्चों को मारते-पीटते हुए पचखुरा की ओर ले जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ल ने तत्काल पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शिवचरण यादव, पिता स्वर्गीय बुद्धू यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासी ठिठका टोला, चौकी झींक बिजुरी, जिला शहडोल के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने कथित पशु तस्करी में बबलू उर्फ अशोक जोगी निवासी झींक बिजुरी, बाबूराम साहू निवासी तरसीली, मनोज साहू निवासी बहेराबांध, रामपाल साहू निवासी पकरिया और ओमप्रकाश साहू निवासी पकरिया के शामिल होने की जानकारी दी। पुलिस ने छह भैंस के बच्चों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। अन्य नामजद व्यक्तियों की भूमिका और कथित तस्करी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिसकर्मी रामखेलावन यादव, महेश साहू और अनिल मरावी शामिल रहे।

तालाब किनारे जुए की महफिल पर पुलिस का छापा, तीन आरोपी गिरफ्तार

कोतमा। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोतमा पुलिस ने ग्राम लालपुर स्थित तालाब के पास दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1,930 रुपये नकद और ताश के 52 पत्ते जब्त किए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम लालपुर स्थित तालाब के पास कुछ लोगों के रुपये-पैसों की हार-जीत का दांव लगाकर ताश से जुआ खेलने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान जुआ खेल रहे तीन लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से जुए में प्रयुक्त 1,930 रुपये नकद और ताश के 52 पत्ते जब्त किए। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक सिंह गोंड (30 वर्ष), राघवेंद्र केवट (26 वर्ष) तथा परमेश्वर प्रजापति (40 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों ग्राम सारंगढ़ के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

खास लोगों को विशेष छूट, तो आम गाइडों के लिए नियम सख्त

बांधवगढ़ में रोस्टर व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

उमरिया। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों हाथियों या बाघों की दहाड़ से नहीं, बल्कि पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवालों को लेकर सुर्खियों में है। प्रबंधन की कथित दोहरी नीति और लचर रोस्टर व्यवस्था ने पार्क के स्थानीय गाइडों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। हालात यह हैं कि एक ही महकमे के भीतर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खास लोगों को बचाने के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर ड्यूटी और रोस्टर के मामले में यह दोहरी व्यवस्था क्यों चलाई जा रही है?

'अनफिट' और अपात्र गाइडों पर मेहरबान प्रबंधन

मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तैनात गाइडों के पंजीयन और उनकी ड्यूटी व्यवस्था से जुड़ा है। सूत्रों और स्थानीय सूत्रों से मिल रही जानकारियों के अनुसार, पार्क में कई ऐसे गाइड भी सूची में शामिल हैं जिन्हें चिकित्सकीय रूप से 'अनफिट' और नियमों के लिहाज से अपात्र करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद उनकी ड्यूटी लगाने को लेकर खेल चल रहा है। आरोप है कि मिलीभगत के खेल के तहत सुबह की पाली में ड्यूटी से नदारद रहने या अनुपस्थित पाए जाने वाले कुछ चुनिंदा चहेते गाइडों को शाम की पाली में फिर से नंबर आवंटित कर दिया जाता है। यानी गलती करने के बावजूद उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।

आम गाइडों पर एक मिनट की देरी भी बनी अभिशाप

एक तरफ जहां कुछ खास लोगों के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है, वहीं दूसरी ओर आम और जरूरतमंद गाइडों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। स्थानीय गाइडों का दर्द है कि यदि कोई आम गाइड महज एक मिनट भी लेट हो जाए, तो उसे तुरंत ड्यूटी से बाहर का



रास्ता दिखा दिया जाता है। उसकी मजबूरी या जायज कारण सुनने वाला कोई नहीं होता। यह तानाशाही रवैया साफ दर्शाता है कि पार्क प्रबंधन के भीतर नियमों का पैमाना व्यक्ति देखकर तय किया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या नियम सिर्फ जमीन से जुड़े आम गाइडों को प्रताड़ित करने के लिए हैं और रसूखदारों के लिए सारे कायदे-कानून शिथिल कर दिए जाते हैं?

सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचा मामला

इस मनमानी और भेदभावपूर्ण व्यवस्था से त्रस्त होकर अब पार्क के आस-पास के विस्थापित ग्रामों के युवाओं और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। न्याय की आस में अब मामला सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गया है, जहां लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। विस्थापित परिवारों का तर्क है कि वे लोग हैं जिन्होंने टाइगर रिजर्व के संरक्षण और वन्यजीवों के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी जमीन और घर तक त्याग दिए। विस्थापन का दर्द झेल रहे इन परिवारों को उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में उन्हें रोजगार की पहली प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन इसके उलट, अपात्र और अयोग्य लोगों को नियमों को ताक पर रखकर पाला जा रहा है, जबकि पात्र और हकदार युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

निष्पक्ष जांच हो और सुधरे व्यवस्था

विस्थापित ग्रामीणों और स्थानीय गाइडों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, चिकित्सकीय रूप से अनफिट और अपात्र पाए गए गाइडों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से नियमानुसार निरस्त किया जाए। खाली हुई जगहों पर विस्थापित ग्रामों के पात्र, योग्य और वाकई जरूरतमंद स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जाएं। एक समान नियम, एक सख्त रोस्टर, समान ड्यूटी और पूरी तरह निष्पक्ष व्यवस्था लागू की जाए।

प्रबंधन की कार्यशैली पर टकटकी

अब देखना यह होगा कि क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन इस मामले में आंखें मूंदकर बैठा रहता है या फिर इस पूरे भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रोस्टर खेल की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करवाता है। यदि समय रहते पारदर्शी और लिखित आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो यह सुलगता हुआ आक्रोश किसी भी वक्त एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। उमरिया से लेकर भोपाल तक अब हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब तक चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदों की बलि दी जाती रहेगी।

कृषक बंधु कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि यंत्रों का उपयोग नरवाई प्रबंधन में कर सकते है

उमरिया। जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर में कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर से संपर्क कर कृषक बंधु नरवाई प्रबंधन में कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते है। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी से प्राप्त जानकारी अनुसार मानपुर विकासखंड अंतर्गत लुकेश्वर सिंह मोबाइल नंबर 6267429264,पुष्पा राय मोबाइल नंबर 9302461197, अमित सिंह मोबाइल नंबर 7049065894, राघवेंद्र सिंह मोबाइल नंबर 7804930412, ओम प्रकाश साहू मोबाइल नंबर 9165544060, विकास कुमार मिश्रा मोबाइल नंबर 702491223, महेंद्र लोनी मोबाइल नंबर 9584185942, कमलेश सिंह मोबाइल नंबर 7440733176, सुभाषचंद गुप्ता मोबाइल नंबर 9165241210,नंदेलाल प्रजापति मोबाइल नंबर 8461076934, सम्राट कार्तिकेय सिंह मोबाइल नंबर 9009960404, राजुलकर पटेल मोबाइल नंबर 8085621508 तथा अमृता सिंह मोबाइल नंबर 6267509054 से संपर्क कर नरवाई प्रबंधन में कृषि यंत्रों का सहयोग लिया जा सकता है।

2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित बैठक

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित जानकारी की समीक्षा बैठक आगामी बैठक 2 नवंबर 2026 को आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

ताला पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल

चरणगंगा नदी पर बनी 'अधूरी पुलिया' पर सवाल



4 महीने बाद भी नहीं लगा निर्माण एजेंसी का बोर्ड

उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भले ही जनता के विकास और पारदर्शी शासन के लिए नित-नई योजनाएं ला रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की धज्जियां उड़ा रही है। जिले के जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत आने वाली मशहूर ग्राम पंचायत ताला में भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामे सामने आए हैं, जिन्हें देखकर साफ लगता है कि यहां के जिम्मेदारों के लिए नियम-कानून महज कागजी टुकड़े बनकर रह गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ के पर्यटन क्षेत्र से सटी ताला पंचायत में जनता के हक और पैसों पर



किस तरह डाका डाला जा रहा है, इसकी बानोगी चरणगंगा नदी पर बनी अधूरी और संदेहास्पद पुलिया बयां कर रही है।

चरणगंगा नदी पर अधूरी पुलिया

मामला ग्राम पंचायत ताला से लगे चरणगंगा नदी का है, जहां कुछ महीने पहले एक पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चार महीने से ज्यादा का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी यह पुलिया आज तक पूरी तरह कम्प्लीट नहीं हो पाई है। निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और राहगीरों व ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नियमों के मुताबिक, किसी भी सरकारी या पंचायत स्तर के निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले मौके पर 'निर्माण



एजेंसी का बोर्ड' लगाना अनिवार्य होता है। इस बोर्ड पर योजना का नाम, निर्माण एजेंसी, कुल लागत, मिलने वाली राशि और काम की अवधि जैसी तमाम जानकारियां स्पष्ट रूप से चस्पा होनी चाहिए, ताकि आम जनता और हर नागरिक यह देख सके कि काम पारदर्शिता से हो रहा है या नहीं।

हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया प्रशासन

हैरानी इस बात की है कि निर्माण कार्य शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज दिनांक तक मौके पर निर्माण एजेंसी का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। आखिर इस पर्दादारी के पीछे क्या वजह है? क्या जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए जानबूझकर बोर्ड गायब रखा गया है ताकि किसी को लागत और बजट की भनक तक न लग सके? आरोप है कि सरपंच, सचिव और इंजीनियरिंग की त्रिमूर्ति की मिलीभगत से खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है और सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बिना बोर्ड के चल रहा यह काम पूरी तरह से पारदर्शिता के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है।

कलेक्टर और सीईओ से जांच की मांग

इस मनमानी और अंधेरगर्दी से त्रस्त होकर अब ग्राम पंचायत ताला के जागरूक लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। जनता ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बनाते हुए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया से मांग की है कि चरणगंगा नदी पर बनी इस संदेहास्पद और अधूरी पुलिया का तत्काल भौतिक निरीक्षण कराया जाए। सरपंच, सचिव और संबंधित इंजीनियर की इस सांठगांठ व भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। सरकारी धन के दुरुपयोग और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले भ्रष्ट जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

महिला बैंक मित्र से कथित दुर्व्यवहार का मामला

एसबीआई प्रबंधक और थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन



बदरा/जमुना। मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन, जिला अनूपपुर के जिला अध्यक्ष समरेंद्र चंद्र दास के नेतृत्व में महिला कियोस्क बैंक संचालक के साथ कथित दुर्व्यवहार, धमकी और बैंकिंग कार्य में बाधा डालने के मामले को लेकर बुधवार को एसबीआई जमुना कॉलरी शाखा प्रबंधक मिथिलेश चौधरी और संबंधित थाना प्रभारी राधिका भगत को ज्ञापन सौंपा गया।

संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में महिला कियोस्क संचालक ने आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर को बैंकिंग कार्य के दौरान विवाद हुआ। पत्र के अनुसार, रजिस्टर दिखाने और लेन-देन से संबंधित मामलों को लेकर कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया तथा धमकी दी गई। महिला संचालक ने आरोप लगाया कि इस घटना से वह मानसिक रूप से परेशान हुई और उसे अपने कार्य को लेकर असुरक्षा महसूस हुई ज्ञापन में लेन-देन के दौरान राशि और नोटों की संख्या को लेकर हुए विवाद का भी उल्लेख किया गया है। महिला संचालक का कहना है कि वह लंबे समय से बैंकिंग सेवाएं दे रही है और इस प्रकार की घटना से उसके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष समरेंद्र चंद्र दास ने बैंक प्रबंधन और पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने, संबंधित पक्षों के बयान लेने और नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है। संगठन ने महिला बैंक मित्रों के सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। बैंक मित्र ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों में लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि संबंधित अधिकारी ज्ञापन पर संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष समरेंद्र चंद्र दास के साथ ओम प्रकाश रजक, श्याम लाल साहू, अमरेश प्रताप सिंह, वीरेंद्र कुमार सोनी, राजेश प्रताप सिंह, विनय सरस, संतोष महरा, पोषण, कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार, अजय गुप्ता और दुर्गेश कुमार सोनी उपस्थित रहे। मामले में बैंक प्रबंधन, संबंधित व्यक्ति और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।



खरीफ समीक्षा एवं रबी फसल की कार्य योजना के संबंध में तैयारी बैठक संपन्न

उमरिया। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आगामी माह में खरीफ 2026 एवं रबी फसल की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। जिले में बैठक की तैयारी के संबंध में समीक्षा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने कृषि सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बीज व्यवस्था, नरवाई प्रबंधन, फसल उपार्जन, कोदो कुटकी पंजीयन सहित उद्यानिकी , मत्स्य पालन, पशु पालन तथा सहकारिता विभाग व्दारा प्रस्तुत की गई जानकारियों की विस्तार से समीक्षा की ।

जिला पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि किसानों को नरवाई प्रबंधन हेतु जागरूक करते हुए कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित करें । अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का निर्माण कराएं। उन्होंने एक्सेप्शनल आवेदनों का एसडीएम के व्दारा सत्यापन करानें तथा अधिक यूरिया का उठाव करने वाले किसानों का सत्यापन शत प्रतिशत किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बताया गया कि ई किसान प्रणाली के माध्यम से किसानों व्दारा उर्वरक का उठाव करने से कालाबाजारी पर अंकुश लगा है। बैठक में कृषि सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभागीय नवाचार का प्रस्तुतीकरण एपीसी की बैठक में करें तथा विभागीय सफलता की कहानियों का भी स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर को होगा

उमरिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के मान से निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को जिले की समस्त विधानसभाओं के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा किया जाएगा। साथ ही 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण होने वाली है अथवा ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित अवधि में संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसी प्रकार मृत मतदाताओं अथवा जिन मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना है, वे फार्म-7 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर फार्म-8 भरकर प्रविष्टियों में सुधार कराया जा सकता है। निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के संबंध में 21 नवंबर 2026 (शनिवार), 22 नवंबर 2026 (रविवार), 5 दिसंबर 2026 (शनिवार) एवं 6 दिसंबर 2026 (रविवार) को विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। इन विशेष कैम्पों में मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियों से संबंधित फार्म प्राप्त करेंगे।

अमरकंटक में बदला मौसम, हवा और बारिश से बढ़ी ठंडक

रुक-रुककर हो रही बारिश से सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह



अमरकंटक। मां नर्मदा की उद्गमस्थली अमरकंटक में हल्की हवाओं और रुक-रुककर हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। वातावरण में ठंडक बढ़ने से लोगों को बदलते मौसम का एहसास होने लगा है। वहीं, प्राकृतिक वादियों और पहाड़ियों के बीच बारिश की फुहारों ने पर्यटन नगरी की सुंदरता को और निखार दिया है। मौसम में आए बदलाव का असर दिन के समय भी महसूस किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों के साथ अमरकंटक पहुंचने वाले पर्यटक भी सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। हवाओं के झोंकों और बारिश से वातावरण में शीतलता घुल गई है। कपिलधारा, दूधधारा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने वाले पर्यटकों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। फिसलन भरे रास्तों पर वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल, अमरकंटक में मौसम के बदले रुख से ठंडक बढ़ने का एहसास हो रहा है। हालांकि, तापमान में वास्तविक गिरावट की पुष्टि आधिकारिक मौसम संबंधी आंकड़ों से ही की जा सकेगी।

दीपावली से पहले एक्शन मोड में कोतमा पुलिस, बाजारों में पैदल गश्त कर हटवाए वाहन

सड़क पर पार्किंग और दुकानों के बाहर फ्लैक्स-बैनर लगाने पर सख्ती

कोतमा। दीपावली से पहले बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात अव्यवस्था को लेकर कोतमा पुलिस सड़क पर उतर आई है। त्योहार के दौरान लोगों को जाम से राहत दिलाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मुख्य बाजारों और गलियों में पैदल गश्त कर सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाया। दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई, वहीं बिना नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी और सड़क पर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में मंगलवार को कोतमा एसडीओपी आरती शाक्य और थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ल पुलिस बल के साथ नगर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर पहुंचे। अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बाजार क्षेत्र में कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े होने से यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए पुलिस ने सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया और वाहन



चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करने की समझाइश दी। पुलिस ने कहा कि सड़क पर वाहन खड़े करने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और त्योहार के समय जाम की स्थिति बन सकती है। त्योहारी खरीदारी के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ दुकानों के बाहर सामान, दोपहिया वाहन और प्रचार-प्रसार के फ्लैक्स-बैनर रखने से रास्ते संकरे हो जाते हैं। पुलिस ने दुकानदारों को समझाइश देते हुए दुकानों के सामने सड़क तक सामान और बैनर नहीं फैलाने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाजार में यातायात सुचारु रखने के लिए दुकानदारों और वाहन चालकों का सहयोग जरूरी है। निर्देशों की अनदेखी कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों की भी जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए गए। पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, यातायात को सुचारु बनाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगर में पैदल गश्त और कार्रवाई के दौरान एसडीओपी आरती शाक्य, थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ल, सहायक उपनिरीक्षक गोविंद प्रजापति, सुखी यादव, एमके तिवारी, कमलेश सिंह, संजीव त्रिपाठी, रामखेलावन यादव, दिनेश राठौर, अजय तोमर, रामपाल पटेल, ऋषि पासी, अभय त्रिपाठी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

खबर संक्षेप



शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी और जबलपुर लॉ यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू

शहडोल। संभाग के युवाओं के शैक्षणिक भविष्य और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल ने एक ऐतिहासिक पहल की है। विश्वविद्यालय का जबलपुर स्थित प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक, संस्थागत व शोध सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. राम शंकर एवं धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. मनोज सिन्हा के संयुक्त प्रयासों से हुए इस समझौते से शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी।

विद्यार्थियों और प्रोफेसरों को मिलेंगे नए अवसर- इस एमओयू के तहत दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और प्राध्यापकों का शैक्षणिक आदान-प्रदान होगा। अब शहडोल के छात्र और शोधार्थी जबलपुर की लॉ यूनिवर्सिटी के संसाधनों, पुस्तकालयों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सीधा लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही संयुक्त सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाएगा।

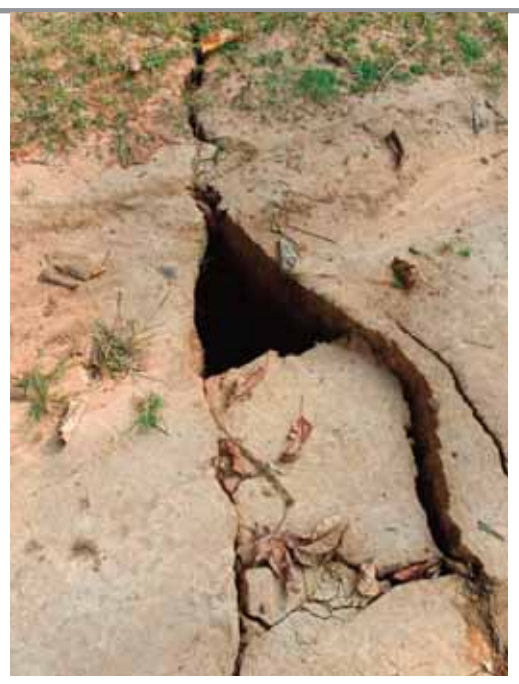
शोध और इनोवेशन पर रहेगा खास जोर- यह साझेदारी विशेष रूप से पीएचडी शोधार्थियों के लिए वरदान साबित होगी। शोधार्थियों को दोनों विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों का गाइडेंस मिलेगा। दोनों संस्थान मिलकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से रिसर्च फंडिंग हासिल करने के लिए काम करेंगे। प्रोजेक्ट्स में गोपनीयता और आईपीआर के नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कुलसचिव ने जताई खुशी- विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. आशीष तिवारी ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह एमओयू उच्च शिक्षा में सहयोगात्मक माहौल बनाने, गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक पहल से पूरे शहडोल संभाग के छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह है।

दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे चलेंगे ग्रीन पटाखे



शहडोल। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इस बार दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय कर दी गई है, साथ ही अवैध और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गाज गिर सकती है।प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस बार दीपावली की रात लोग केवल दो घंटे यानी रात 08 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की ही अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों में बेरियम सॉल्ट जैसे जहरीले रसायनों और कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, पटाखों की आवाज की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी संवेदनशील क्षेत्र, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन या पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफकार्रवाई की जाएगी।





बंगवार के जंगल में 400 हेक्टेयर जमीन पर गोफ का खतरा

कहीं 2 से 3 मीटर धंसी धरती, कहीं लंबी-गहरी दरारें; भराई के लिए टेंडर नहीं, प्रबंधन की लोगों से अपील, गोफ क्षेत्र में न जाएं



धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की बंगवार भूमिगत खदान में कोयला उत्खनन के बाद जंगल की जमीन में उभर रही लंबी-गहरी दरारें और धंसाव गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में गोफ और दरारें होने की जानकारी सामने आई है। कुछ स्थानों पर जमीन दो से तीन मीटर तक धंसने की बात कही जा रही है। बीते लगभग एक वर्ष में तीन स्थानों पर गोफ होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बावजूद दरारों की भराई के लिए टेंडर अब तक नहीं होने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।भूमिगत खनन के बाद जमीन के भीतर खाली स्थान बनने से सतह धंसने का खतरा पैदा होता है। बंगवार जंगल की मौजूदा स्थिति के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन में दरारें पड़ने और धंसाव की जानकारी है, तो प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कार्रवाई कब होगी? प्रबंधन लोगों से गोफ प्रभावित क्षेत्र में नहीं जाने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके साथ खतरे वाले स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी है।400 हेक्टेयर जंगल में दरारें, जमीन धंसने से बढ़ी चिंताबंगवार जंगल में जगह-जगह जमीन फटने और लंबी-गहरी दरारें उभरने की जानकारी सामने आई है। कुछ हिस्सों में भूमि दो से तीन मीटर तक नीचे बैठने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि बीते लगभग एक वर्ष में तीन स्थानों पर गोफ होने की स्थिति बनी है। यदि प्रभावित क्षेत्र का दायरा इतना बड़ा है, तो जमीन की वास्तविक स्थिति का तकनीकी सर्वेक्षण कराना और खतरनाक हिस्सों की स्पष्ट पहचान करना आवश्यक है।जंगल में वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। दरारों से भरी जमीन उनके लिए भी खतरा बन सकती है। स्थानीय स्तर पर वन्यजीवों के हादसों का शिकार होने की बातें कही गई हैं, हालांकि इन घटनाओं का आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है। ऐसे में जंगल की जमीन और उसमें विचरण करने वाले जीव-जंतुओं की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।प्रबंधन की अपील—गोफ क्षेत्र में न जाएं लोगबंगवार खदान प्रबंधन का कहना है कि आसपास के लोगों को गोफ प्रभावित क्षेत्र के खतरे की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। भूमिगत खनन के कारण जमीन के भीतर खाली स्थान बनने से सतह के धंसने और दरारें बढ़ने की आशंका बनी रह सकती है। इसी वजह से लोगों को सावधानी बरतने और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की अपील की जा रही है।हालांकि, केवल लोगों को जानकारी देने या वहां नहीं जाने की अपील करने से सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जंगल में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खतरे की जानकारी हो, यह सुनिश्चित करना भी चुनौती है। इसके लिए प्रभावित क्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित करने, मजबूत घेराबंदी करने, चेतावनी संकेतक लगाने और नियमित निगरानी की व्यवस्था जरूरी है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भी ऐसे इंतजाम आवश्यक हैं, ताकि वे अनजाने में दरारों वाले हिस्सों तक न पहुंचें।दरारें मौजूद, लेकिन भराई के लिए टेंडर का इंतजारगोफ प्रभावित क्षेत्र में दरारों की मिट्टी से भराई की जानी है, लेकिन प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि इसके लिए अभी टेंडर नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जमीन में धंसाव और दरारों की जानकारी पहले से है, तो आवश्यक कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है?स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गोफ क्षेत्र में भराई के नाम पर औपचारिकता निभाई जाती है और वास्तविक कार्य की स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए पूर्व में कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन, टेंडर और कार्यादेश से जुड़े अभिलेखों की जांच जरूरी है।यदि पहले किसी हिस्से में मिट्टी भराई कराई गई है, तो उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की जांच भी होनी चाहिए। केवल कागजी प्रक्रिया पूरी होने से जमीन के भीतर बने खाली स्थानों और सतह पर उभरती दरारों का जोखिम समाप्त नहीं होगा।सुरक्षा के नाम पर पंपलेट, फेंसिंग और गार्ड की व्यवस्था पर सवालजानकारी के अनुसार, गोफ प्रभावित क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी पंपलेट लगाए गए हैं। वहीं, स्थानीय स्तर पर शिकायत है कि लोगों और वन्यजीवों को खतरनाक हिस्सों तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त फेंसिंग तथा सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था नहीं है।जब जमीन के और धंसने की आशंका बताई जा रही है, तब केवल चेतावनी पर्चे पर्याप्त नहीं हैं। खतरे वाले हिस्सों की स्पष्ट पहचान, मजबूत बैरिकेडिंग, नियमित निगरानी और जरूरत के अनुसार आवाजाही पर रोक लगाना आवश्यक है। प्रबंधन की ओर से लोगों को गोफ क्षेत्र में नहीं जाने की अपील के साथ-साथ सुरक्षा के व्यावहारिक उपाय भी किए जाने चाहिए।प्रबंधन का तर्क—एक-दो साल तक और धंस सकती है जमीनप्रबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भूमिगत खनन के बाद जमीन का बैठना खनन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। ऐसे स्थानों पर पानी की निकासी के लिए मिट्टी काटकर नालियां बनाने और लकड़ियों से घेराव करने जैसे अस्थायी उपाय किए जाते हैं। यह भी बताया गया कि एक-दो साल तक जमीन के और धंसने की संभावना बनी रह सकती है।यदि जमीन के लगातार धंसने की आशंका है, तो प्रभावित क्षेत्र की नियमित निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी है। वन विभाग तथा एसईसीएल प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण, जोखिम का आकलन और आवश्यक सुधार कार्य किए जाने चाहिए।डीएफओ की अनुमति के बाद जंगल में पहुंचा वाहनबंगवार जंगल में गोफ की जानकारी मिलने के बाद कालरी प्रबंधन को सूचित किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद जंगल में वाहन प्रवेश के लिए डीएफओ से अनुमति ली गई। इस मामले में वन विभाग और एसईसीएल प्रबंधन के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है, ताकि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भराई जैसे आवश्यक कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।उपक्षेत्रीय प्रबंधक बोले—जल्द कराएंगे टेंडरगोफ क्षेत्र की दरारों की भराई को लेकर अमलाई-बंगवार-दामिनी के उपक्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार सिंह से जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि गोफ क्षेत्र की भराई के लिए जल्द से जल्द टेंडर कराया जा रहा है।अब निगाहें इस बात पर हैं कि टेंडर कब जारी होगा, काम कब शुरू होगा और प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए क्या समयसीमा तय की जाएगी। लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में दरारों और धंसाव की बताई जा रही स्थिति को देखते हुए तकनीकी सर्वेक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और भराई कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन जरूरी है।हादसे से पहले कार्रवाई जरूरीबंगवार जंगल की स्थिति कई अहम सवाल खड़े करती है। प्रभावित क्षेत्र का वास्तविक दायरा कितना है? दरारों की भराई के लिए टेंडर कब जारी होगा? खतरे वाले हिस्सों में फेंसिंग और निगरानी की व्यवस्था कब होगी? पहले कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कौन करेगा?प्रबंधन की लोगों से गोफ क्षेत्र में नहीं जाने की अपील सावधानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ धरातल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जरूरी हैं। जमीन के भीतर कोयला निकालना खनन का काम है, लेकिन उसके बाद पैदा हुए जोखिम से लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।





पति की दीर्घायु के लिए आज निर्जला करवा चौथ व्रत रखेंगी महिलाएं



बुधवार को खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़

बुढ़ार।28 अक्टूबर पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर आज, बुधवार को क्षेत्र की सुहागिन महिलाएं निर्जला करवा चौथ का व्रत रखेंगी। महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए व्रत रखेंगी और रात्रि में चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रत का पारण करेंगी।

करवा चौथ पर्व को लेकर सुहागिनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार को खरीदारी के लिए बुढ़ार के बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मिट्टी के करवों की दुकानों पर विशेष रौनक रही, जहां महिलाओं ने रंग-बिरंगे करवे, दीये, पूजा की चलनी सहित पूजन और श्रृंगार सामग्री की जमकर खरीदारी की।

पर्व को लेकर बाजार में दुकानदारों ने भी विभिन्न प्रकार के करवे और पूजन सामग्री सजा रखी है। श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ नजर आई। करवा चौथ को लेकर पूरे बाजार में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है।

गाड़ाघाट जंगल दफाई के नाले में रेत का अवैध उत्खनन, जिम्मेदारों की निगरानी पर उठे सवाल

नाले का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ने की आशंका; वन, खनिज और पुलिस विभाग की सक्रियता पर टिकी निगाहें



धनपुरी। धनपुरी-अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ाघाट जंगल दफाई के नाले में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों और चर्चाओं के अनुसार, नाले के विभिन्न हिस्सों से रेत निकालकर उसका परिवहन किया जा रहा है। आरोप है कि इस गतिविधि में ट्रैक्टर और मेटाडोर का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा सुबह से ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो यह मामला केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।नाले का सीना छलनी, प्राकृतिक स्वरूप पर संकटगाड़ाघाट जंगल दफाई का नाला क्षेत्र के प्राकृतिक जलस्रोतों में शामिल है। नाले से अनियंत्रित तरीके से रेत निकालने से उसके तल की बनावट, किनारों की स्थिरता और जलप्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। रेत का अत्यधिक दोहन जारी रहने पर बरसात के दौरान पानी के बहाव, मिट्टी के कटाव और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले के कई हिस्सों में लगातार रेत निकाले जाने से उसका मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले विभागों की निगरानी कितनी प्रभावी है और अवैध उत्खनन की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।सुबह से वाहनों की आवाजाही, कार्रवाई को लेकर सवालक्षेत्रीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि सुबह करीब पांच बजे से ट्रैक्टर और मेटाडोर रेत निकालने के लिए नाले तक पहुंचने लगते हैं। यदि दिन के शुरुआती घंटों में इस तरह की गतिविधियां नियमित रूप से हो रही हैं, तो संबंधित विभागों के गश्ती दलों और निगरानी व्यवस्था की भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है।स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध उत्खनन के मामलों में कभी-कभार कार्रवाई होती है, लेकिन कथित तौर पर इससे गतिविधियों पर स्थायी रोक नहीं लग पा रही है। लोगों का कहना है कि केवल छिटपुट कार्रवाई के बजाय अवैध उत्खनन में लगे वाहनों, रेत के स्रोत, परिवहन मार्ग और बिक्री के नेटवर्क की जांच की जानी चाहिए। हालांकि, कार्रवाई को महज दिखावा बताए जाने संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।।रॉयल्टी और वैध परिवहन की जांच भी जरूरीरेत के उत्खनन और परिवहन में वैध अनुमति, लागू नियमों तथा आवश्यक दस्तावेजों का पालन किया जाना जरूरी है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को यह जांचना चाहिए कि गाड़ाघाट जंगल दफाई के नाले से निकाली जा रही रेत के लिए वैध अनुमति है या नहीं, वाहनों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं तथा रेत का परिवहन निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।यदि बिना अनुमति उत्खनन अथवा नियमों के विरुद्ध परिवहन की पुष्टि होती है, तो संबंधित वाहन मालिकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, जब्त किए गए वाहनों और रेत की मात्रा से संबंधित कार्रवाई का विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई की पारदर्शिता बनी रहे।आसपास के नदी-नालों पर भी निगरानी की मांगस्थानीय लोगों का कहना है कि मामला केवल गाड़ाघाट जंगल दफाई के नाले तक सीमित नहीं होना चाहिए। आसपास के नदी-नालों से भी कथित तौर पर अवैध तरीके से रेत निकाले जाने और अंधेरा होने के बाद परिवहन किए जाने की शिकायतों की जांच जरूरी है। यदि रात के समय ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, तो संबंधित मार्गों पर नियमित गश्त, संदिग्ध वाहनों की जांच और खनिज परिवहन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।वन विभाग, खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर संयुक्त निरीक्षण और नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।अब कार्रवाई का इंतजारगाड़ाघाट जंगल दफाई के नाले में कथित अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय हैं। स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों का जवाब केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि मौके के निरीक्षण, वैधता की जांच और पारदर्शी कार्रवाई से मिल सकता है।अब देखना यह है कि वन विभाग, खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। नाले का प्राकृतिक स्वरूप सुरक्षित रखना, अवैध खनन की वास्तविक स्थिति सामने लाना और दोषियों के खिलाफ नियमसम्मत कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो समय रहते कठोर कदम उठाना जरूरी होगा, ताकि प्राकृतिक जलस्रोतों को होने वाले नुकसान पर रोक लगाई जा सके।

बुढार पुलिस की बड़ी कार्रवाईः हाथीडोल तिराहा से अवैध सट्टा संचालित करते एक आरोपी गिरफ्तार, 3,2 सौ रुपये नगद व सामग्री जप्त

बुढ़ार। कोयलांचल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के सख्त निर्देशों के तहत, बुढ़ार पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निरीक्षक खेम सिंह प्रेद्धो के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने हाथीडोल तिराहा क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से सट्टा पर्ची काट रहे एक आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई- प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर को थाना बुढ़ार पुलिस क्षेत्र भ्रमण और अपराध पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाथीडोल तिराहा के पास एक व्यक्ति अंकों पर रुपये का दांव लगवाकर अवैध रूप से सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।

आरोपी के कब्जे से नगद और सट्टा सामग्री बरामद
पुलिस पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध ने अपना नाम विजय गुप्ता (पिताः रोहणी गुप्ता, उम्रः 26 वर्ष, निवासीः वार्ड क्रमांक 01, हाथीडोल) बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित सामग्रियां जप्त की गईं:
नगद राशिः 3,2 सौ रुपये,अन्य सामग्रीः सट्टा पर्ची और एक डॉट पेन आरोपी के विरुद्ध धारा 4(क) सट्टा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस आगे की विवेचना कर रही है।

सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में थाना बुढ़ार के सहायक उप निरीक्षक गिरीश शुक्ला और प्रधान आरक्षक दिनेश सिंह की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खबर संक्षेप



न्यू राजनगर सेंट्रल बैंक के सामने सड़क के साइड शोल्डर गायब, हादसों का बढ़ा खतरा

राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) क्षेत्र के अंतर्गत न्यू राजनगर स्थित काली मंदिर के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यू राजनगर शाखा के सामने सड़क के साइड शोल्डर की स्थिति बदहाल हो गई है। सड़क के किनारे मिट्टी का कटाव होने और बरसात के दौरान मिट्टी बह जाने से साइड शोल्डर सड़क की सतह से काफी नीचे चला गया है। इससे बैंक आने-जाने वाले खाताधारकों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यू राजनगर शाखा के सामने स्थित एसईसीएल की सड़क का निर्माण कई वर्ष पहले कराया गया था। समय के साथ सड़क के किनारों पर मिट्टी का लगातार कटाव होता रहा। बरसात में मिट्टी बहने के कारण कई स्थानों पर सड़क और साइड शोल्डर के बीच लगभग एक फीट तक का अंतर हो गया है। सड़क ऊंची और किनारे का हिस्सा नीचे होने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए आवागमन जोखिम भरा हो गया है। सड़क के किनारे पर्याप्त मिट्टी नहीं होने से बैंक आने वाले वाहन चालकों को अपने वाहन सड़क से नीचे उतारने और दोबारा सड़क पर चढ़ाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस असमान सतह के कारण कुछ मोटरसाइकिल सवार फिसलकर गिर भी चुके हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सेंट्रल बैंक की न्यू राजनगर शाखा में प्रतिदिन आने वाले खाताधारकों और स्थानीय नागरिकों की सुविधा को देखते हुए सड़क के किनारे मिट्टी की फिलिंग कराकर साइड शोल्डर को सड़क के समतल करने की आवश्यकता है।

दीपावली एवं छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन



अनूपपुर। दीपावली और छठ पूजा त्यौहार के दौरान यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग के मध्य 03-03 फेरों के लिए दीपावली एवं छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से प्रत्येक रविवार दिनाँक 01, 08 एवं 15 नवम्बर को चलेगी द्य इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन निजामुद्दीन से प्रत्येक सोमवार दिनाँक 02, 09 एवं 16 नवम्बर को चलेगी। इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया स्टेशनों में दिया गया है। गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 10.45 बजे रवाना होगी तथा रायपुर आगमन 11.20 बजे, प्रस्थान 11.25 बजे, उसलापुर आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.30 बजे, पेंड्रारोड आगमन 14.55 बजे, प्रस्थान 14.57 बजे, अनूपपुर आगमन 15.40 बजे, प्रस्थान 15.45 बजे, शहडोल आगमन 16.20 बजे, प्रस्थान 16.22 बजे, उमरिया आगमन 17.14 बजे, प्रस्थान 17.16 बजे, कटनी मुड़वारा आगमन 19.40 बजे, प्रस्थान 19.50 बजे, दमोह आगमन 20.50 बजे, प्रस्थान 20.52 बजे, सागर आगमन 22.00 बजे, प्रस्थान 22.05 बजे, दूसरे दिन वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी आगमन 03.25 बजे, प्रस्थान 03.35 बजे, आगरा केंट आगमन 07.10 बजे, प्रस्थान 07.15 बजे, मथुरा आगमन 08.55 बजे, प्रस्थान 09.00 बजे तथा 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन निजामुद्दीन से 12.30 बजे रवाना होगी तथा मथुरा आगमन 14.15 बजे, प्रस्थान 14.20 बजे, आगरा केंट आगमन 15.10 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी आगमन 19.50 बजे, प्रस्थान 19.55 बजे, सागर आगमन 23.50 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे, दूसरे दिन दमोह आगमन 01.00 बजे, 01.02 बजे, कटनी मुड़वारा आगमन 02.45 बजे, प्रस्थान 02.55 बजे, उमरिया आगमन 04.18 बजे, प्रस्थान 04.20 बजे, शहडोल आगमन 05.38 बजे, प्रस्थान 05.40 बजे, अनूपपुर आगमन 06.30 बजे, प्रस्थान 06.35 बजे, पेंड्रारोड आगमन 07.15 बजे, प्रस्थान 07.17 बजे, उसलापुर आगमन 09.45 बजे, प्रस्थान 09.55 बजे, रायपुर आगमन 12.10 बजे, प्रस्थान 12.15 बजे तथा 13.45 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 02 एसएलआरडी, 04 जनरल, 11 स्लीपर, 02 एसी, 01 एसी-कोच सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

30 लाख की धोखाधड़ी में एफआईआर, चिटफंड कंपनी पर पुलिस का शिकंजा

कोतमा में निवेशकों की रकम लेकर कार्यालय समेटने का आरोप

800 करोड़ रुपये फंसने के दावे से कोयलांचल में बढ़ी चिंता
हजारों सेवानिवृत्त कोयलाकर्मियों की जमा पूंजी पर उठे सवाल

अनूपपुर/कोतमा। कम समय में अधिक मुनाफे का भरोसा देकर निवेश कराने और बाद में रकम फंसने की शिकायतों ने कोयलांचल में एक बार फिर निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। जीएनयस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोतमा पुलिस ने 30 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता कुन्नीलाल सोनी ने कंपनी से जुड़े लोगों पर निवेश के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में कंपनी के कोतमा शाखा प्रबंधक निपेंद्र सिंह तथा संचालक सरोज यादव, सुखनंदन यादव और मुकेश यादव के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318 (4), 61 (2) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला केवल एक निवेशक की शिकायत तक सीमित है या इसके पीछे निवेशकों का बड़ा नेटवर्क प्रभावित हुआ है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि, कंपनी से जुड़ी कथित शिकायतों और बड़ी रकम फंसने के दावों ने कोयलांचल में वित्तीय गतिविधियों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आधी रात को कार्यालय से सामान ले जाने का आरोप

मामले में कोतमा स्थित कंपनी के शाखा कार्यालय को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आधी रात को कंप्यूटर, दस्तावेज और अन्य सामान पिकअप वाहन में लादकर ले जाया गया तथा कार्यालय में ताला लगा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद संबंधित लोग कार्यालय से गायब हो गए। यदि कार्यालय से संबंधित अभिलेख और उपकरण हटाए गए हैं, तो यह जांच का महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि कार्यालय से कौन-सा सामान ले जाया गया, उसमें निवेशकों के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज थे या नहीं और वर्तमान में कंपनी के जिम्मेदार लोग कहां हैं। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल अपनी जमा पूंजी की वापसी का है।

800 करोड़ रुपये फंसने का दावा, हजारों सेवानिवृत्त कोयलाकर्मियों का जिक्र

कंपनी के कथित निवेश नेटवर्क को लेकर शहडोल, बुढ़ार, धनपुरी, कोतमा, बिजुरी, पसान, भालूमाड़ा, गोविंदा और जमुना-रामनगर सहित छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी निवेशकों की रकम फंसने की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में हजारों सेवानिवृत्त कोयलाकर्मियों की करीब 800 करोड़ रुपये की रकम प्रभावित हुई है। हालांकि, 800 करोड़ रुपये की कथित ठगी, प्रभावित निवेशकों की संख्या और विभिन्न स्थानों पर दर्ज शिकायतों की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है। यह भी जांच का विषय है कि अलग-अलग स्थानों पर सामने आई शिकायतें एक ही कंपनी या नेटवर्क से जुड़ी हैं अथवा उनके तथ्य अलग-अलग हैं। यदि प्रभावित निवेशकों की संख्या और रकम के दावे सही पाए जाते हैं, तो मामला व्यापक वित्तीय जांच की मांग करेगा। इसके लिए विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरणों, निवेश संबंधी दस्तावेजों और बैंक खातों के लेन-देन



का आपसी मिलान जरूरी होगा।

30 लाख रुपये निवेश कराने के बाद धोखाधड़ी का आरोप

शिकायत के अनुसार, कुन्नीलाल सोनी को मोतीलाल ओसवाल ब्रांड का नाम लेकर भरोसा दिलाया गया और निवेश के लिए प्रेरित किया गया। आरोप है कि उनसे 30 लाख रुपये जमा कराकर जीएनयस फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश कराया गया, लेकिन बाद में उनके साथ धोखाधड़ी हुई। अब इस मामले में निवेश की प्रक्रिया, रकम जमा कराने के तरीके, संबंधित दस्तावेजों और धन के लेन-देन की जांच महत्वपूर्ण होगी। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित ब्रांड का कंपनी से वास्तविक कारोबारी संबंध था या उसके नाम का कथित तौर पर भरोसा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी पुष्टि संबंधित संस्थाओं के रिकॉर्ड और पुलिस जांच से ही हो सकेगी।

जमीन और सोने-चांदी के आभूषण खरीदने के भी आरोप

एक पीड़ित निवेशक ने आरोप लगाया है कि निवेशकों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल शहडोल, कोतमा, बिलासपुर, रायपुर और अन्य स्थानों पर जमीन-जायदाद खरीदने तथा सोने-चांदी के आभूषण जुटाने में किया गया। कुछ संपत्तियां संबंधित व्यक्तियों या उनके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। पुलिस जांच में बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों, निवेश रिकॉर्ड और धन के हस्तांतरण की पड़ताल से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। यदि निवेशकों की रकम से संपत्ति अर्जित किए जाने की पुष्टि होती है, तो कानून के अनुसार संपत्तियों की पहचान और कार्रवाई उनकी रकम की वसूली के प्रयासों में महत्वपूर्ण हो सकती है।

निगरानी व्यवस्था पर सवाल, शिकायतों की जांच जरूरी

कोयलांचल में बड़ी संख्या में श्रमिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जीवनभर की बचत को सुरक्षित रखने के लिए निवेश योजनाओं का सहारा लेते हैं। ऐसे में अधिक मुनाफे का भरोसा, प्रतिष्ठित वित्तीय ब्रांडों के नाम का कथित इस्तेमाल और निवेश की शर्तों को लेकर अस्पष्टता उन्हें आर्थिक जोखिम में डाल सकती है। इस मामले में यह जानना भी जरूरी है कि संबंधित कंपनी किस वैधानिक अनुमति के आधार पर निवेश संबंधी गतिविधियां संचालित कर रही थी। क्या कंपनी और उसकी योजनाओं की आवश्यक जांच हुई थी? क्या पहले भी शिकायतें मिली थीं? यदि शिकायतें मिली थीं, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? इन सवालों के जवाब संबंधित विभागों के रिकॉर्ड और जांच से सामने आने चाहिए। चिटफंड और निवेश योजनाओं के मामलों में केवल प्राथमिकी दर्ज होना पर्याप्त नहीं है। निवेशकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, रकम के लेन-देन का पता लगाना, कथित लाभार्थियों की पहचान और कानून के दायरे में धन की वसूली के प्रयास भी आवश्यक हैं। संबंधित संस्था और योजना की प्रकृति के अनुसार सक्षम नियामक तथा जांच एजेंसियों की भूमिका तय होगी।

कब लौटेगी निवेशकों की मेहनत की कमाई?

जीएनयस फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में अब निवेशकों की निगाहें पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। पीड़ितों को उम्मीद है कि निवेश की पूरी राशि का हिसाब सामने आएगा, कथित धन के लेन-देन की पड़ताल होगी और आरोप सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की है, उन्हें रकम वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। मामले की निष्पक्ष जांच, शिकायतों का आपसी मिलान और उपलब्ध कानूनी उपायों के जरिए धन की वसूली की दिशा में कार्रवाई ही निवेशकों को राहत दिलाने का रास्ता तैयार कर सकती है।

इनका कहना है

पीड़ित की शिकायत पर कंपनी के तीनों संचालकों और शाखा प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

रत्नाबर शुक्ल
थाना प्रभारी, कोतमा

हितग्राहियों को मिलेगा 90 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ

कटनी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कटनी जिले के 199 चयनित ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को मत्स्य पालन गतिविधियों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष कुमार नायक ने बताया कि योजना के तहत मिनी आरएएस, बायोफ्लॉक, पॉण्ड बायोफ्लॉक, संवर्धन पोखर निर्माण, फिश सेलिंग कियोस्क तथा मछली विक्रय के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल एवं आइस बॉक्स युक्त ऑटोरिक्शा सहित अन्य चयनित मत्स्य पालन गतिविधियों का लाभ दिया जाएगा।

दिलदार धमाल डांडिया गरबा महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब, रंगारंग प्रस्तुतियों ने मोहा मन

नवागत एसपी अंकित सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ

हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक, पारंपरिक गरबा और एकल नृत्य

अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर में आयोजित दिलदार धमाल डांडिया गरबा महोत्सव 2026 भव्यता, उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में हजारों की संख्या में अभिभावकों, दर्शकों, गरबा प्रेमियों और प्रतिभागियों की सहभागिता रही। पारंपरिक गरबा नृत्य, मनमोहक एकल नृत्य प्रस्तुतियों और आकर्षक मंच संचालन ने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतिभागियों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। आयोजन में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला। महोत्सव के मुख्य अतिथि अनूपपुर जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके आगमन पर आयोजन में उपस्थित लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, समाजसेवियों और पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही।





पारंपरिक गरबा नृत्य से सजी सांस्कृतिक संध्या

दिलदार धमाल डांडिया गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों ने पारंपरिक गरबा नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की सुंदर झलक प्रस्तुत की। आकर्षक वेशभूषा, तालबद्ध कदमों और उत्साह से भरी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। गरबा की धुनों पर प्रतिभागियों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उत्सव का रंग भर दिया। महोत्सव में एकल नृत्य प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रत्येक प्रस्तुति में मेहनत, लगन और अभ्यास की झलक दिखाई दी। दर्शकों ने तालियों के साथ प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। गरबा और डांडिया भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उससे जुड़ने का अवसर मिलता है। दिलदार धमाल डांडिया गरबा महोत्सव ने भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया। कार्यक्रम में परिवारों की सहभागिता ने आयोजन को सामाजिक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया।

संदीप शिवहरे और आयुषी शुक्ला ने किया शानदार संचालन

कार्यक्रम का संचालन क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार संदीप शिवहरे ने अपनी सहयोगी सुश्री आयुषी शुक्ला के साथ किया। दोनों ने अपने प्रभावशाली मंच संचालन और प्रस्तुति से कार्यक्रम को रोचक बनाए रखा। उन्होंने विभिन्न प्रस्तुतियों को क्रमबद्ध तरीके से मंच पर प्रस्तुत करते हुए दर्शकों को कार्यक्रम से जोड़े रखा। मंच संचालन के दौरान कलाकारों और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम की प्रस्तुतियों के बीच तालमेल और आकर्षक संवाद ने सांस्कृतिक संध्या को जीवंत बनाए रखा। संदीप शिवहरे और आयुषी शुक्ला के संचालन की उपस्थिति ने महोत्सव की भव्यता में चार चांद लगा दिए।

जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थिति

महोत्सव में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वाल्मीकि राठौर, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती सोनाली पिंटू तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कावड़े तथा वरिष्ठ समाजसेवी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा पत्रकारों और क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में आपसी मेलजोल, सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने के प्रयास की सराहना की गई। इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है और क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। दिलदार धमाल डांडिया गरबा महोत्सव में हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना आयोजन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास को दर्शाता है। अभिभावकों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, जबकि दर्शकों ने नृत्य प्रस्तुतियों का आनंद लिया। गरबा प्रेमियों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना दिया।

फुटपाथ पर कब्जा, दुकानों के सामने किराये का खेल, रोजाना 300 से 500 वसूली का आरोप

अनूपपुर में 150 से 200 अस्थायी दुकानों के संचालन का अनुमान

सार्वजनिक रास्तों पर चलने को मजबूर राहगीर, दीपावली से पहले सर्वे कराकर अतिक्रमण हटाने का सीएमओ ने दिया भरोसा, नगर पालिका की निगरानी पर सवाल, कथित वसूली की निष्पक्ष जांच और संयुक्त कार्रवाई की मांग

अनूपपुर। शहर के फुटपाथों पर कब्जा, सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और दुकानों के सामने जगह देने के बदले रोजाना किराया वसूली के आरोपों ने नगरपालिका प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपावली पर बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तक खाली नहीं हैं। आरोप है कि कुछ स्थायी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सार्वजनिक जगह पर अस्थायी दुकानें लगवाकर प्रतिदिन 300 से 500 रुपये तक वसूल रहे हैं। यदि जांच में यह आरोप सही साबित होते हैं, तो मामला केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों के कथित निजी व्यावसायिक इस्तेमाल का भी होगा। शहर में रेलवे स्टेशन चौराहा से बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शंकर मंदिर रोड, इंदिरा तिराहा, चेतनानगर और अमरकंटक चौराहे सहित विभिन्न बाजार क्षेत्रों में फुटपाथों और सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाए जाने की शिकायतें हैं। कई स्थानों पर पैदल यात्रियों को फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलना पड़ता है। त्योहार के दौरान वाहनों और ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के बीच यह स्थिति यातायात बाधित करने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा सकती है।

फुटपाथ जनता के लिए या निजी कमाई का जरिया?

फुटपाथ पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सड़क का उद्देश्य सुचारु यातायात सुनिश्चित करना है। ऐसे में सार्वजनिक रास्तों पर अस्थायी दुकानें लगने और उनके बदले निजी स्तर पर रकम लिए जाने के आरोपों की जांच जरूरी है। सवाल यह है कि संबंधित दुकानदारों को सार्वजनिक जगह पर दुकान लगाने की अनुमति किसने दी? यदि अनुमति दी गई है, तो उसके नियम और निर्धारित शुल्क क्या हैं? और यदि कोई अनुमति नहीं है, तो लंबे समय से ऐसी दुकानें संचालित कैसे हो रही हैं? स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ स्थायी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अस्थायी दुकानदारों को बैठने देते हैं और इसके बदले प्रतिदिन किराया लेते हैं। हालांकि, कथित वसूली की दर, दुकानों की संख्या और रकम लेने वाले व्यक्तियों की भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे में प्रशासनिक जांच और संबंधित पक्षों के बयान महत्वपूर्ण होंगे।

150 से 200 दुकानें, रोजाना 45 हजार से एक लाख रुपये तक का अनुमान

स्थानीय स्तर पर सामने आए प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, शहर में 150 से 200 अस्थायी दुकानें संचालित हो सकती हैं। यदि इन दुकानों से प्रतिदिन 300 से 500 रुपये तक किराया वसूले जाने का आरोप जांच में सही पाया जाता है, तो कुल रकम प्रतिदिन 45 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक बैठ सकती है। इसी आधार पर 30 दिन में यह राशि 13.50 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यह गणना केवल अनुमानित दुकानों की संख्या और कथित किराया दर पर आधारित है। इसे वास्तविक वसूली या प्रमाणित आय नहीं माना जा सकता। वास्तविक स्थिति जानने के लिए दुकानों की संख्या, किराया देने वाले दुकानदारों के बयान, भुगतान के साक्ष्य, अनुमति संबंधी दस्तावेज और संबंधित अभिलेखों की जांच आवश्यक है।

नगरपालिका से यातायात पुलिस तक, जवाबदेही तय करने की मांग

मामले में नगरपालिका प्रशासन, यातायात पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। नगरपालिका को फुटपाथों, सड़क किनारों और सार्वजनिक स्थानों का सर्वे कर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति दर्ज करनी चाहिए। साथ ही अस्थायी दुकानों के लिए जारी अनुमति, निर्धारित शुल्क, रसीदों और संबंधित अभिलेखों की जांच की जानी चाहिए। यातायात पुलिस को प्रमुख चौराहों और बाजार मार्गों पर यातायात की स्थिति का आकलन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानों के कारण पैदल यात्रियों और वाहनों का आवागमन बाधित न हो। वहीं, कथित किराया वसूली के मामले में पुलिस को उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच करनी चाहिए। यदि किसी दंडनीय कृत्य के प्रमाण मिलते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे अहम सवाल यह है कि यदि सार्वजनिक रास्तों पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें हैं, तो अब तक कितने निरीक्षण हुए और कितने मामलों में कार्रवाई की गई? क्या पहले कभी इस समस्या को लेकर सर्वे किया गया? संबंधित विभागों को इन सवालों पर तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए।

नाम उजागर करने से डर रहे अस्थायी दुकानदार

फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदारों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कथित किराया वसूली की बात कही है। उनका कहना है कि वे नगरपालिका को किराया देने के बजाय जिस स्थायी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाते हैं, उसी दुकानदार को रकम देते हैं। कुछ दुकानदारों ने यह आशंका भी जताई कि यदि वे खुलकर बयान देंगे, तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। यदि सार्वजनिक जगह पर दुकान लगाने के बदले निजी स्तर पर रकम ली जा रही है, तो यह भी जांच का विषय है कि रकम लेने वाले व्यक्तियों के पास ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार है या नहीं। छोटे व्यापारियों की आजीविका महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके नाम पर आम नागरिकों के रास्ते बाधित होने की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सीएमओ का भरोसा, त्योहार से पहले होगा सर्वे

मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली से पहले फुटपाथों और सड़कों पर किए गए कब्जों का सर्वे कराया जाएगा। यदि शासकीय संपत्ति पर नियम विरुद्ध तरीके से किराया वसूले जाने का मामला सामने आता है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनसम्मत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फुटपाथों और सड़कों को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की बात भी कही। सीएमओ के इस आश्वासन के बाद अब निगाहें नगरपालिका की कार्रवाई पर टिकी हैं। सर्वे कब शुरू होगा, किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की समयसीमा क्या होगी, यह स्पष्ट होना बाकी है। केवल अस्थायी दुकानों को हटाने के बजाय उन लोगों की भूमिका की भी जांच जरूरी है, जिन पर सार्वजनिक जगह पर दुकान लगवाने के बदले रकम लेने के आरोप हैं।

दीपावली से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेगी परेशानी

त्योहार के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ फुटपाथ और सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे में नगरपालिका, यातायात पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन को संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाकर नियम विरुद्ध कब्जों की पहचान करनी चाहिए। जरूरतमंद छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है।

कार्यालय, नगर परिषद् डोला, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
Office: Municipal Council Dola Dt- Anuupur (M.P.) Email-cmodola@mpurban.gov.in Phone-7987173704

क्रमांक-1887/न.परि./लो.नि./ई-टेण्डर/2026 **निविदा विज्ञप्ति (प्रथम आमंत्रण)** डोला, दिनांक 27/10/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यो हेतु एस.ओ. आर 08.11.2025 के अनुसार प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदाएं केन्द्रीकृत प्रणाली समतुल्य / सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मो एवं ठेकेदारो से ऑनलाइन निविदा दरें आमंत्रित की जाती है।

क्र.	ऑनलाइन टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य अवधि
1	1753/E-Tender/PWD/DOLA/2026 2026_UAD_545353_1 CONSTRUCTION OF PAVER BLOCK ROAD FROM JAGDEV SINGH HOUSE TO SANJAY PANDAY HOUSE AT WARD NO. 03 NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	2026_UAD_545353_1 CONSTRUCTION OF PAVER BLOCK ROAD FROM JAGDEV SINGH HOUSE TO SANJAY PANDAY HOUSE AT WARD NO. 03 NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	RS. 3,57,264.00	RS. 3,572/-	RS. 2000/-	04 Montth
2	1754/E-Tender/PWD/DOLA/2026 2026_UAD_545351_1 CONSTRUCTION OF PAVER BLOCK ROAD FROM KUNDAN GUPTAS HOUSE TO PRAKASH PRAJAPATIS HOUSE AT WARD NO. 03 NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	2026_UAD_545351_1 CONSTRUCTION OF PAVER BLOCK ROAD FROM KUNDAN GUPTAS HOUSE TO PRAKASH PRAJAPATIS HOUSE AT WARD NO. 03 NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	RS. 4,91,238.00	RS. 4,912/-	RS. 2000/-	04 Montth
3	1755/E-Tender/PWD/DOLA/2026 2026_UAD_545357_1 CONSTRUCTION OF CULTURAL PLATFORM AT WARD NO. 04, NEAR MAJHIS HOUSE NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	2026_UAD_545357_1 CONSTRUCTION OF CULTURAL PLATFORM AT WARD NO. 04, NEAR MAJHIS HOUSE NAGAR PARISHAD DOLA DISTRICT ANUPPUR (M.P.).	RS. 3,77,629.00	RS. 3,776/-	RS. 2000/-	04 Montth

1- उल्लेखित कार्यो के निविदाओं का विस्तृत विवरण वेबसाईटhttps://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है 2- ऑनलाइन निविदा (2026_UADY_545353_1) प्रपत्र क्रय करने का दिनांक 27.10.2026 समय 10:30 AM से 10.11.2026 समय 17:30 PM बजे तक निर्धारित है 3- ऑनलाइन निविदा (2026_UADY_545351_1) प्रपत्र क्रय करने का दिनांक 27.10.2026 समय 10:30 AM से 10.11.2026 समय 17:30 PM बजे तक निर्धारित है 4- ऑनलाइन निविदा (2026_UADY_545357_1) प्रपत्र क्रय करने का दिनांक 27.10.2026 समय 10:30 AM से 10.11.2026 समय 17:30 PM बजे तक निर्धारित है
निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा । निविदा में किया गया संशोधन वेबसाईट eProcurement System Government of Madhya Pradesh MP ETENDERपर देखा जा सकता है ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् डोला, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)